पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-286
दिनांक 30.01.2025

जोन- उत्तरी/थाना-अलीगंज

- **लड़ाई-झगड़ा कर शान्ति भंग करने वाले 04 नफर अभियुक्तों/आरजकतत्वों को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 29.01.25 को थाना क्षेत्रान्तर्गत इन्दिरानगरी सेक्टर सी पुरनिया थाना अलीगंज लखनऊ मे आपस मे लड़ाई झगड़ा कर शान्ति भंग करने वाले अभियुक्त 01.प्रभात सिंह साकेत पुत्र रमेश सिंह साकेत नि0 1/181 विवेक पुरम तारामण्डल थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर उम्र करीब 28 वर्ष 02.प्रभात सिंह चौहान पुत्र अशोक सिंह चौहान नि0 नशीराबाद थाना रामपुर कला जनपद सीतापुर उम्र करीब 25 वर्ष 03. साहिल मिश्रा पुत्र विजय कुमार मिश्रा नि0 07 शाहाबाद नजपद हरदोई उम्र करीब 20 वर्ष 04.आमिर अहमद पुत्र अकील अहमद नि0 एम/10 इन्दिरानगरी सेक्टर सी थाना अलीगंज जनपद लखनऊ उम्र 23 वर्ष को धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। अभि0गण उपरोक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

लड़ाई झगड़ा कर शान्ति व्यवस्था भंग करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1.प्रभात सिंह साकेत पुत्र रमेश सिंह साकेत नि0 1/181 विवेक पुरम तारामण्डल थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर उम्र करीब 28 वर्ष

2.प्रभात सिंह चौहान पुत्र अशोक सिंह चौहान नि0 नशीराबाद थाना रामपुर कला जनपद सीतापुर उम्र करीब 25 वर्ष

3. साहिल मिश्रा पुत्र विजय कुमार मिश्रा नि0 07 शाहाबाद नजपद हरदोई उम्र करीब 20 वर्ष

4.आमिर अहमद पुत्र अकील अहमद नि0 एम/10 इन्दिरानगरी सेक्टर सी थाना अलीगंज जनपद लखनऊ उम्र 23 वर्ष

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री विनय कुमार मिश्र थाना लखनऊ
2. उ0नि0 श्री भानु प्रताप सिंह थाना लखनऊ
3. का0 सुनील कुमार मौर्या थाना अलीगंज लखनऊ
4. का0 सत्यवीर सिंह थाना अलीगंज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-284
दिनांक 30.01.2025

जोन- दक्षिणी/थाना-बन्थरा

- **वादिनी/पीड़िता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना बन्थरा पुलिस की कार्यवाही।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24/25.01.2025 को अभियुक्त कौशलेन्द्र प्रताप उम्र करीब 27 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश रावत निवासी ग्राम सादुल्लानगर थाना बन्थरा जनपद लखनऊ द्वारा उसी के गाँव में रहने वाली महिला/पीड़िता उम्र करीब 20 वर्ष को शादी का झांसा देकर आलमबाग स्थित रैन बसेरा मे ले जाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद अभियुक्त ने शादी करने से इंकार कर दिया।

जिसके पश्चात पीड़िता द्वारा लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर थाना बंथरा लखनऊ पर मु0अ0सं0 39/2025 धारा 64(1)/351(3) बी.एन.एस. पंजीकृत कराया गया। विवेचना क्रम में आज दिनांक 30.01.2025 को प्र0नि0 बंथरा राम सिंह मय टीम द्वारा मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त कौशलेन्द्र प्रताप उपरोक्त को ग्राम सादुल्लानगर से समय करीब 10.10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिर0शुदा अभियुक्त कौशलेन्द्र प्रताप उपरोक्त के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा मे जिला कारागार भेजा गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

कौशलेन्द्र प्रताप पुत्र ओमप्रकाश रावत निवासी ग्राम सादुल्लानगर थाना बन्थरा जनपद लखनऊ उम्र करीब 27 वर्ष ।(व्यवसाय – पेशे से ड्राईवर है पिकप चलाता है)

03-आपराधिक इतिहास

- मु0अ0सं0 294/2018 धारा 379 आईपीसी थाना बन्थरा जिला लखनऊ ।
- मु0अ0सं0 39/2025 धारा 64(1), 351(3)बीएनएस थाना बन्थरा जिला लखनऊ ।

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. प्रभारी निरीक्षकराम सिंह,
02. उ0नि0यू0टी0 अभय कुमार गुप्ता,
03. आरक्षी सुमित कुमार यादव।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

जोन-पश्चिमी/थाना-चौक

प्रेस नोट सं0-287

दिनांक 30.01.2025

- **01 नफर वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के द्वारा अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखने एवं पूर्व में घटित घटनाओं का अनावरण किये जाने व वाँछित-वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेशो-निर्देशों के अनुपालन में श्री विश्वजीत श्रीवास्तव पुलिस उपायुक्त (प0) व श्री धनन्जय सिंह कुशवाहा अपर पुलिस उपायुक्त (प0) के निर्देशन में श्री राजकुमार सिंह सहायक पुलिस आयुक्त चौक के पर्वेक्षण में श्री नागेश उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक चौक के नेतृत्व में चौक पुलिस द्वारा वारन्टी अभियुक्त विवेक शर्मा पुत्र राजू शर्मा नि0- 348/77-78 पुराना टिकैतगंज थाना बाजारखाला लखनऊ हालपता 244/29 लोहा बाजार रकाबगंज थाना चौक लखनऊ उम्र- 33 वर्ष को दिनांक 30.1.25 को गिरफ्तार कर माननीय अपर प्रधान न्यायाधीश -2 परिवार न्यायालय बाराबंकी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02- अपराध का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित न होने पर मा0 न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया गया।

03-सम्बन्धित अभियोग/वाद-

1.एसटी नम्बर- 273/24 धारा 125(3) सीआरपीसी थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1.विवेक शर्मा पुत्र राजू शर्मा नि0- 348/77-78 पुराना टिकैतगंज थाना बाजारखाला लखनऊ हालपता – 244/29 लोहा बाजार रकाबगंज थाना चौक लखनऊ उम्र- 33 वर्ष।

05-गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. उ0नि0 नारायन वर्मा चौकी प्रभारी यहियांगज थाना चौक लखनऊ
2. हे0का0 परमवीर सिंह थाना चौक लखनऊ

कार्यालय साइबर क्राइम पुलिस थाना
कमिश्नरेट लखनऊ

टीसी-33, वी-2 विभूतिखण्ड गौमतीनगर लखनऊ
ईमेल आईडी- ccpsstf.lu-up@gov.in
मो0नं0 7839876640

प्रेस नोट सं0-282
दिनांक-30-01-2025

- **फ्लिप्कार्ट की वेंडर कम्पनी "स्टारटेक" से करोड़ों की ठगी करने वाला अभियुक्त साइबर क्राइम थाना लखनऊ पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार |**

01-संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है किफ्लिप्कार्ट की वेंडर कंपनी स्टारटेक से करोडो की ठगी करने के सम्बन्ध में विकास अहलावत (प्रशासन एवं सुविधा) एजिस कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिनाँक 22.11.2024 को थाना स्थानीय पर अपराध संख्या- 196/2024 धारा 111(2)(2), 318(4) BNS & 43/66C आईटी एक्ट पंजीकृत कराया गया।

उक्त अभियोग के अनावरण हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त लखनऊ का आदेश हुआ श्रीमान् संयुक्त पुलिस आयुक्त के निर्देशन में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त (पूर्वी), श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त (पूर्वी), श्रीमान् सहायक पुलिस उपायुक्त गोमतीनगर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम थाना लखनऊ प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार यादव के नेतृत्व में घटना के अनवारण हेतु टीम गठित की गयी।

उपरोक्त टीम द्वारा घटना के अनवारण हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त घटना को अंजाम देने वाले मुख्य साइबर अपराधी राहुल जोनवाल को दिनांक 29-01-2025 को अजमेर, राजस्थान से गिरफ्तार किया |

02-अपराध करने का तरीका:

साइबर अपराधी द्वारा स्टारटेक कम्पनी मे कस्टमर सपोर्ट एक्सीक्युटिव के पद पर वर्क फ्रोम होम के माध्यम से अजमेर मे अपने घर पर रहकर कार्य कर रहा था। कम्पनी द्वारा दो पोर्टल दिये गये थे जिसमे एक फिलपकार्ट स्मार्ट असिस्ट और दुसरा ई-कार्ट कन्सोल को नाम से था, स्मार्ट असिस्ट पर कस्टमर सपोर्ट के लिए कस्टमरो की काल आती थी जिसमे उनकी आडर हिस्ट्री, पैमेंट रिलेटिड डिटेल, प्रोडक्ट रिटर्न व केंसल कि डिटेल दिखाई देती थी जिससे कस्टमरो की समस्या का समाधान किया जाता था।

दूसरा पोर्टल ई-कार्ट कन्सोल पर सभी डिलिवरी से सम्बंधित जानकारी प्रदर्शित होती थी | इसी पोर्टल के डेशबोर्ड में आरटीओ(रिटर्न टू औरिजन) का ओपशन होता था जिससे आर्डर कैंसिल किया जा सकता था इसी ऑप्शन का दुरूपयोग कर साइबर अपराधी द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर माह जून से अगस्त के मध्य तक विभिन्न फ्लिपकार्ट अकाउंट से आर्डर कराये और जिस दिन आर्डर करा हुआ प्रोडक्ट आउट फोर डिलिवरी होता था तो आर्डर आईडी के माध्यम से ई-कार्ट कन्सोल पर आरटीऔ मार्क कर देता था लेकिन आरटीऔ का स्टेटस के अपडेट होने में 24 घण्टे लग जाते थे जिससे प्रोडक्ट डिलिवर भी हो जाता था और प्रोडक्ट का पैसा भी रिफण्ड हो जाता था।

इसी तरीके से साइबर अपराधी द्वारा लगभग 01 करोड़ के 149 प्रोडक्ट जिसमे आईफ़ोन, सैमसंग के प्रीमियम फोन, टेब, लैपटॉप व अन्य प्रोडक्ट मंगाये और उन्हें लोकल मार्केट्स में ब्रोकर के माध्यम से बिकवाये तथा कुछ प्रोडक्ट डीलरों के माध्यम से नेपाल भिजवा दिये |

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-राहुल जोनवाल पुत्र कमलेश निवासी 834/28, धान नाडी, नयी बस्ती, थाना अलवर गेट, जनपद अजमेर, राजस्थान, उम्र 25 वर्ष |

04-गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद मोबाइल फ़ोन |

05-गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार यादव, साइबर क्राइम थाना लखनऊ।
2. उ0नि0 प्रशांत रघुवंशी साइबर क्राइम थाना लखनऊ।
3. का0 विवेक कुमार यादव, साइबर क्राइम थाना लखनऊ |
4. का0 धनीश यादव, साइबर क्राइम थाना लखनऊ।
5. का0 संजय कुमार, साइबर क्राइम थाना लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

जोन-पूर्वी/थाना-गोमतीनगर

प्रेस नोट सं0-288

दिनांक 30.01.2025

- **सोशल मीडिया पर हुक्का पीने की वायरल हो रही वीडियो के सम्बन्ध में थाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त से 03 अदद हुक्का , 02 ज्वाइल होल्डर, 02 अदद हुक्का फ्लेवर खुले डिब्बे बरामद।**

01-कार्यवाही-

दिनांक 29.01.2025 को सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पेबेल्स रेस्टोरेंट निकट हुसडिया चौराहा गोमतीनगर में हुक्का पीने व पिलाने का वीडियो वायरल हुआ था।

02-संक्षिप्त विवरण-

उक्त वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुये थाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये पेबेल्स रेस्टोरेंट निकट हुसडिया चौराहा गोमतीनगर को चेक किया गया तो उक्त रेस्टोरेट में विनय कुमार पुत्र सहजराम निवासी विनीतखण्ड 6 थाना गोमतीनगर लखनऊ स्थायी पता ग्राम चन्दीपुर महादेवा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी उम्र 28 वर्ष उपस्थित मिले। रेस्टोरेंट में 03 अदद हुक्का , 02 ज्वाइल होल्डर, 02 अदद हुक्का फ्लेवर खुले डिब्बे रखे मिले जिनके बारे में विनय कुमार उपरोक्त से सम्बन्धित प्रपत्र आदेश दिखाने के लिये कहा गया तो कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नही करा पाये।

जब पुलिस टीम द्वारा उक्त सामान को कब्जा पुलिस लिया जा रहा था तो विनय कुमार उपरोक्त रेस्टोरेंट से बाहर आकर शांति भंग करते हुये उग्र होने लगे। जिस पर पुलिस द्वारा काफी समझाने का प्रयास किया गया लेकिन और उग्र होकर आमदा फौजदारी हो गये तत्काल अन्य कोई चारा न देखते हुये मौके से गिरफ्तार कर 170/135/126 बीएनएसएस में चालान माननीय न्यायालय किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- विनय कुमार पुत्र सहजराम निवासी विनीतखण्ड 6 थाना गोमतीनगर लखनऊ स्थायी पता ग्राम चन्दीपुर महादेवा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी उम्र 28 वर्ष

04-बरामदगी-

- 03 अदद हुक्का
- 02 ज्वाइल होल्डर
- 02 अदद हुक्का फ्लेवर खुले डिब्बे

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-285

दिनांक 30.01.2025

सर्किल गोसाईगंज के थाना सु0गो0सिटी/गोसाईगंज क्षेत्र के शराब व्यवसाइयों/ संचालको के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया।

आज दिनांक 30.01.2025 को समय 14.00 बजे एडीसीपी/एसीपी गोसाईगंज किरन यादव (I.P.S.) के द्वारा अपने कार्यालय में थाना सु0गो0सिटी/गोसाईगंज क्षेत्र स्थित लाइसेन्स धारक शराब/बियर की दुकानो के व्यवसाइयो व बार संचालको के साथ एक गोष्ठी कर उनकी समस्याओं को सुना गया व आबकारी नियमों के तहत बिक्री व बार संचालन हेतु सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये –

- रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग न किया जाये।
- शराब की दुकानो/ बार का संचालन आबकारी विभाग के द्वारा अनुमति के अनुसार खोलना व बंद करना सुनिश्चित करे।
- दुकानो पर नाइट विजन सी0सी0टी0वी0 कैमरों का प्रबंध किया जाये व उनको ऐसे स्थापित किया जाये कि रोड एवं दुकान के आस-पास का अधिक से अधिक क्षेत्र कबर हो सके।
- सुरक्षा कर्मी का समुचित प्रबंध किया जाये।
- शराब की दुकानो के बाहर किसी भी परिस्थिति में शराब का सेवन न करने दिया जाए।
- 18 वर्ष से कम उम्र के बालक को शराब की बिक्री न की जाये।
- अधिकृत विक्रेताओ के द्वारा ही शराब की बिक्री की जाये।
- आबकारी विभाग द्वारा दिये गये निर्देशो का शत-प्रतिशत पालन किया जाये।
- शराब की दुकानो के आस-पास रोड पर बेतरतीव वाहनो को न खड़ा किया जाये।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-283
दिनांक-30.01.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-इटौंजा

- लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर घटना कारित करने वाले कंटेनर चालक को किया गया गिरफ्तार।
- दिनांक 28.01.25 को कंटेनर चालक द्वारा मकान को क्षतिग्रस्त करते हुये 05 व्यक्तियों को किया गया था घायल, जिसमे से 03 व्यक्ति की हुयी थी मृत्यु।
- घटना मे प्रयुक्त वाहन बरामद।

01-कार्यवाही

दिनांक 29.01.2025 को"एक कंटेनर वाहन नं0 UK08CA6948 चालक नाम पता अज्ञात द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चालकर वादी मुकदमा श्री कृष्ण चौरसिया की महोना स्थित किराने की दुकान में जोरदार टक्कर मार देना जिससें दुकान पर समान ले रहे 03 व्यक्तियों वादी का पुत्र धनेश, सन्जू पुत्र रामनारायण व शिवा पुत्र अमरेश की मृत्यु हो जाने व मुन्ना चौरसिया, नीरज चौरसिया पुत्रगण श्रीकृष्ण चौरसिया गम्भीर रूप से घायल हो जाने तथा श्री कृष्ण चौरसिया की दुकानव मकान क्षतिग्रस्त करने तथा दुकान में रखा सामान नष्ट हो जाने" के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 16/2025 धारा 281/125(a)/125(b)/106(1)/324(5) बीएनएसपंजीकृत किया गया था।

उ0नि0 रवीन्द्र पाल वर्माद्वारा विवेचना के क्रम मे चश्मदीद गवाहो के बयान व साक्ष्य संकलन से वाहन चालक द्वारा जानबूझकर आपराधिक मानव-वध कारित किये जाने के पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियोग में धारा 106(1) बीएनएस को धारा 105 बीएनएस में तरमीम किया गया।

उसके उपरान्त आज दिनांक 30.01.2025 कोअभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित वाहन चालक की तलाश मे मौजूद थे कि मुखबिर खास की सूचना पर इटौजा फ्लाईओवर के पास से एक्सीडेन्ट कारित करने वाले अभियुक्त अनिल शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा नि0 ग्राम करनपुर थाना उघ्येती जनपद बदांयू को पकड़ा गया।

02-सक्षिप्त विवरण:-

कंटेनर वाहन नं0 UK08CA6948 दिनांक 28/01/2024 को लखनऊ से माल लेकर रुडकी जा रहा था उसी दौरान रास्ते मे सामने से एक गाडी आ जाने से उसे बचाने मे कंटेनरमहोना स्थित पुलिया मे लड़ गयाएवं कन्ट्रोल न होने के कारण कंटेनर वाहन सामने स्थित मकान मे लड़ गया। लोगो द्वारा कंटेनर चालक अनिल शर्मा उपरोक्त को गाडी से उतरने को कहा गया तो मार खाने के डर से उसके द्वारा गाडी आगे बढा दी गयी जिससे कुछ लोग गाड़ी से दब गये और कंटेनर चालक गाडी से कूदकर मौके से भाग गया था। कंटेनर चालक अनिल शर्मा उपरोक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया।

03-अपराध का तरीका:-

वाहन चालक द्वारा लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मार देना तथा रोके जाने पर मनमानी करते हुए गाड़ी आगे बढा देना जिससे सामने दुकान पर सामान ले रहे व्यक्तियों की गाड़ी से कुचलकर मृत्यु हो जाना।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. अनिल शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा नि0 ग्राम करनपुर थाना उद्येती जनपद बदांयूउम्रं करीब 40 वर्ष

05-बरामदगी:-

1. एक अदद ट्रक कंटेनर वाहन संख्या UK08CA6948

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना इटौंजा-

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र पाल वर्मा थाना इटौंजा लखनऊ
2. का0 सुभाष कुमार थाना इटौंजा लखनऊ
3. का0 मोहम्मद जाहिद थाना इटौंजा लखनऊ